DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

The Premier English Daily of Uttarakhand

Garhwal Post

For Tomorrow's People!

www.garhwalpost.in | Vol. XVIII No. 217 DEHRADUN | Wednesday 7, February, 2024 | Pages 16 | Price ₹ 2

CM Dhami tables UCC Bill amid protests from Opposition

By ARUN PRATAP SINGH

DEHRADUN, 6 Feb: Chief Minister Pushkar Singh Dhami introduced the Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill in the state assembly on the second day of the Special Session, here, today. Slogans of 'Vande Mataram' and 'Jai Shri Ram' were raised by MLAs in the House after the introduction of the Bill.

The proceedings of the House were adjourned till 2 p.m. soon after the introduction. After the lunch break, the discussion began on the bill and continued till late evening. The bill was scheduled to be passed today, but in view of many members wanting to participate, the discussion will continue in the pre-lunch sitting tomorrow, followed by putting the bill to vote.

Interestingly, while initially the Opposition members created a ruckus at the time of the introduction of the bill, as the discussion continued till late evening, barely three to four members from the Opposition were seen in the House. These included Leader of the Opposition Yashpal Arya and Tilak Raj Behad.

While Chief Minister Pushkar Singh Dhami highlighted the salient points of the bill and the necessity for it, the Opposition members opposed the bill mainly on the technical ground that they had not been given adequate time to study it.

When Parliamentary Minister Prem Chand Aggarwal started presenting his views on the merits of UCC, the opposition leaders started creating a ruckus, on which the Parliamentary Minister responded by claiming that there is no ground under their feet but they are unable to realise this.

Please see page ... 2

Previous govts lacked vision for development

UCC aims to end

News paper – Garhwal Post
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

समान नागरिक संहिता : सहमति संबंध में पैदा बच्चे को भी संपत्ति का अधिकार

उत्तराखंड विधानसभा में बिल पेश : सभी धर्मों में शादी-तलाक के लिए एक कानून

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। दो साल की कवायद के बाद मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा के पटल पर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) उत्तराखंड विधेयक-2022 पेश किया।

सदन में यूसीसी बिल पेश करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। विधेयक में सभी धर्मों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। बेटा-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देने व सहमति संबंधों में पैदा होने वाली संतान को भी संपत्ति का हकदार माना गया है। अनुसूचित जनजाति समुदाय को इससे बाहर रखा है। विधेयक पेश करने के बाद सीएम ने कहा, यूसीसी में विवाह की धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाज, खान-पान, पूजा-इबादत, वेशभूषा पर असर नहीं होगा।

मंगलवार को सारे कामकाज स्थगित कर सरकार सदन में 202 पृष्ठों का यूसीसी विधेयक लेकर आई। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की नाराजगी पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने ढाई घंटे सदन स्थगित रखा, ताकि बिल के अध्ययन के लिए समय मिले। पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय पांच वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास रहेगी।

शाम करीब साढ़े छह बजे सदन स्थगित हो गया। बुधवार को बिल पारित होने की उम्मीद है। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की तारीफ की तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व एक अन्य विपक्षी ने इसे पुनर्विचार के लिए प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग उठाई। >> संबंधित 2 व 3

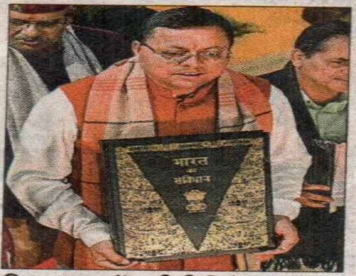

विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने जाते सीएम धामी। अमर उजाला

ऐतिहासिक क्षण

पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से हमने वर्ष 2022 के विस चुनाव में प्रदेश की जनता से यूसीसी लाने का जो संकल्प लिया था, उसे हम पूरा करने जा रहे हैं। देवभूमि के लिए वह ऐतिहासिक क्षण निकट है, जब उत्तराखंड पीएम मोदी के विजन एक भारत श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार स्तंभ बनेगा।
– पुष्करसिंह धामी, सीएम

सहमति संबंध को मान्यता, पर सख्ती भी

प्रस्तावित कानून में बिना पंजीकरण एक महीने से अधिक लिव इन में रहने पर तीन महीने कैद, 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। पंजीकरण के समय गलत जानकारी दी, तो छह महीने तक की कैद के साथ 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- लिव इन पार्टनर 18 साल से कम उम्र का नहीं होगा। 21 साल से कम होने पर रजिस्ट्रार उसके माता-पिता या अभिभावक की मंजूरी के बाद ही पंजीकरण करेगा।

सहमति संबंध में पैदा बच्चा पैतृक संपत्ति का अधिकारी होगा। संबंध टूटने पर जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी।

- ऐसे संबंधों के टूटने पर महिला कोर्ट जा सकती है और गुजारा भत्ता मांग सकती है।

>> शादी का पंजीकरण नहीं तो लगेगा जुर्माना : 4, संबंधित 5 पर भी

विधेयक पारित होना तय

विधानसभा में 47 सदस्यों के साथ भाजपा का स्पष्ट बहुमत है। कुछ निर्दलीय विधायक भी साथ हैं। ऐसे में यूसीसी विधेयक पारित कराने में कोई कठिनाई नहीं है। समवर्ती सूची का विषय होने की वजह से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भी भेजा जा सकता है।

- यह कानून बनने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा। गोवा में समान नागरिक कानून है, लेकिन यह पुर्तगाली शासन से ही लागू है।

यूसीसी लागू हुआ तो क्या होगा

- मुसलमानों को चार शादी करने की छूट नहीं होगी, बिना तलाक दूसरी शादी नहीं होगी।
- सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों की 21 साल होगी।
- बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। पुरुष-महिला को तलाक देने के समान अधिकार।
- सभी धर्मों में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक।
- बहु विवाह पर रोक। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती।
- शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा, बिना पंजीकरण शादी अमान्य होगी।
- शादी के एक साल तक तलाक की याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी।
- हलाला व इद्दत जैसी प्रथाएं खत्म।
- महिला का दोबारा विवाह करने की किसी भी तरह की शर्तों पर रोक होगी।
- बिना सहमति धर्म परिवर्तन पर दूसरे व्यक्ति को उससे तलाक व गुजारा भत्ता लेने का हक।

News paper – Amar Ujala
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY

NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

20 माह में धरातल पर उतरा चुनाव में किया वादा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सधे अंदाज में करतल ध्वनि के बीच सदन में पेश किया विधेयक

विकास गुसाईं • देहरादून

प्रदेश सरकार ने आखिरकार समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर इसे कानूनी शक्ल देने का रास्ता साफ कर दिया। ऐसा कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। यानि हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी। उन्होंने सरकार बनने पर इसे प्राथमिकता से लागू करने की बात कही थी। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री धामी ने 27 मई, 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। इसके बाद समिति ने ड्राफ्ट बनाने के लिए बैठकों का दौर शुरू किया। इस कड़ी में समिति ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आमजन के साथ ही जनजातीय समुदाय के साथ बैठकें की। इन बैठकों में मिले सुझाव और देश-विदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर बने कानूनों का गहन अध्ययन किया गया। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले विधि विशेषज्ञों से भी राय ली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं अपने दिल्ली दौरे के दौरान समिति के सदस्यों से इसका अपडेट लेते रहे।

नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन मे समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को गठित विशेष समिति के सदस्यों के साथ अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई • जागरण आर्काइव

समिति को मिले सुझाव

पोर्टल	61, 000
डाक द्वारा	36000
दस्ती	1,12,000
ई-मेल	24

इन देशों में लागू है समान नागरिक संहिता

सऊदी अरब, तुर्किये, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबेजान, जर्मनी, जापान, कनाडा।

चार बार बढ़ाया गया समिति का कार्यकाल

समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार ने 22 मई को विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति का कार्यकाल छह माह रखा गया। कार्य की अधिकता को देखते हुए सरकार ने चार बार इसका कार्यकाल बढ़ाया। पहली बार कार्यकाल 28 नवंबर 2022 को छह माह के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद नौ मई 2023 को कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद 22 सितंबर को कार्यकाल फिर से चार माह के लिए बढ़ाया गया। चौथा कार्यकाल गत 25 जनवरी को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। अब समिति का कार्यकाल 11 फरवरी को समाप्त हो रहा है।

समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट की प्रगति को लेकर वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी लगातार अवगत कराते रहे।

समिति की 80 से अधिक बैठकें और 2.33 लाख से अधिक सुझाव: विशेषज्ञ समिति के लगभग 20 माह के कार्यकाल में 80 से अधिक बैठकें हुईं और समिति को लगभग 2.33 लाख सुझाव मिले। समिति ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव लेने के लिए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी बैठक की। समिति ने प्रदेश के सभी धर्मों, समुदाय व जनजातियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नागरिक संहिता के संबंध में उनके सुझाव व शंकाओं को सुना। समिति ने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक कर संहिता के संबंध में उनका पक्ष जाना। नई दिल्ली में भी प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ इस विषय पर संवाद किया। बैठकों के दौरान मिले सभी सुझावों को समिति ने अपने ड्राफ्ट में शामिल किया है।

समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का प्रोफाइल

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेनि)
उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष, 1996 में मुंबई उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, 30 जुलाई, 1973 में शुरू की वकालत, 1973 में गवर्नमेंट ला कालेज, मुंबई से कानून में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली
12 दिसंबर, 2011 को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, 28 फरवरी, 2013 में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर, झारखंड व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 1972 में जम्मू विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि।

शिक्षाविद सुरेखा डंगवाल
वर्तमान में दून विश्वविद्यालय की कुलपति, अप्रैल, 2007 से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, 2000 में डीएएडी फैलोशिप, 2008-09 में अमेरिका में टारलेटन स्टेट यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी, भाजपा से जुड़ी रहीं, अविभाजित उत्तर प्रदेश में हिल्ट्रान की अध्यक्ष। प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति सदस्य।

मनु गौड़
वर्ष 2012 से देश में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं को लेकर जनजागरण में सक्रिय, योजना आयोग के ज्यूरी मेंबर, सर्वश्रेष्ठ स्वैच्छिक संगठन अवार्ड, 2022। 1997-2001, उत्तरप्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन के अध्यक्ष, राज्यमंत्री दर्जा, आल इंडिया बेस्ट ओरेटर अवार्ड 1985।

सेवानिवृत्त आइएएस शत्रुघ्न सिंह
1983 बैच के आइएएस, 17 नवंबर, 2015 को उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने। नवंबर, 2016 में मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखंड, अगस्त, 2021- वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष। 1979-आइआइटी खड़गपुर से बीटेक इलेक्ट्रिकल, 1997-अमेरिका से मास्टर्स इन इकोनामिक्स उपाधि

News paper – Dainik Jagran
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

21 years for boys, 18 years for girls

UCC Bill in Uttarakhand House, sets rules on marriage, inheritance, live-in relations

State: Tribals kept out, no tampering with customs of any religion or caste

AVANEESH MISHRA
DEHRADUN, FEBRUARY 6

THE UTTARAKHAND government tabled the Uniform Civil Code (UCC) 2024 Bill in the Assembly on Tuesday, setting the stage for other BJP-ruled states to come up with similar legislation. If passed, Uttarakhand will become the first state to adopt the UCC.

While exempting the tribal community from its purview, the Bill proposes a common law on marriage, divorce, inheritance of property and live-in relationships for all citizens, irrespective of their religion. Coming just ahead of the Lok Sabha elections, it ticks off an important item on the BJP's agenda.

In Uttarakhand, it was a pre-poll promise that Chief Minister Pushkar Singh Dhami had made. On Tuesday, as he tabled the Bill, the treasury benches thumped their desks and chanted slogans of "Bharat Mata ki Jai", "Vande Mataram" and "Jai Shri Ram". The Bill is expected to be passed by the House on Wednesday.

"The draft specifically covers matters related to marriage, divorce, inheritance and adoption. There has been no tampering with the traditions and customs of any religion, caste or sect. Religious beliefs will not make any difference in the marital process," the government said in a statement.

CONTINUED ON PAGE 2

NO POLYGAMY, NO PERSONAL LAWS

- Heterosexual partners in live-in relationships will have to register with a state-government appointed Registrar
- Practices of bigamy and polygamy are barred
- Muslims and other communities following personal laws of succession will now have to follow the UCC, which heavily borrows from the Indian Succession Act
- Marriages between partners with common ancestors is only permitted if they can prove that it is a customary practice in their communities

THE UCC will apply to all communities, except STs

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami leaves his Dehradun residence with a copy of the Constitution, Tuesday. *PTI*

Why registration of live-in relationship raises concerns over privacy and liberty

APURVA VISHWANATH
NEW DELHI, FEBRUARY 6

EXPLAINED

FROM REQUIRING compulsory registration with the state while starting or ending a live-in relationship for heterosexual couples — a record of which will be kept in a police station; providing for maintenance to the woman when "deserted" by her partner; to prescribing jail term of upto six months for not producing a "certificate" of the relationship – the Uniform Civil Code (UCC) Bill introduced in the Uttarakhand Assembly on Tuesday enters uncharted territory, raising constitutional concerns of privacy and personal liberty.

Essentially, the Bill seeks to equate heterosexual live-in relationships to the status of a marriage. A separate chapter in the proposed Code deals with live-in relationships, defining them as a "relationship between a man and a woman" (partners) who "cohabit in a shared household through a relationship in the nature of marriage, provided that such relations are not prohibited."

The Bill requires the partners to notify the "Registrar" within a month of entering into a live-in relationship and while terminating a live-in relationship. It prescribes a jail term of upto three months for not registering a live-in relationship. In case of failing to produce a certificate of live-in relationship, a term of six months is prescribed on conviction.

"The compulsory registration takes away the freedom to choose not being married. The state should not enter into the realm of what citizens do consensually. Prima facie, it intrudes into the domain of privacy which is recognised as a fundamental right in the Puttaswamy ruling," senior advocate Geeta Luthra said.

Significantly, the proposed Code provides for maintenance

CONTINUED ON PAGE 2

News paper – Indian Express
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

उत्तराखंड ने की देश में समान नागरिक संहिता की पहल

- विधानसभा में झलका सरकार और भाजपा का आत्मविश्वास मुख्यमंत्री धामी को दिया श्रेय
- साढ़े चार घंटे तक चर्चा के दौरान निशाने पर रही कांग्रेस, भाजपा विधायकों ने की नारेबाजी

राज्य ब्यूरो, देहरादून: लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को मूर्त रूप दे रही धामी सरकार और भाजपा का आत्मविश्वास विधानसभा में झलका। सदन में मंगलवार को समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष के विधायकों सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों और विधायकों ने उत्तराखंड की इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठा कदम बताया।

वक्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका श्रेय दिया। साढ़े चार घंटे तक चली चर्चा के दौरान सदन में कई बार भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे गूंजे। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरे समय भाजपा विधायकों के निशाने पर रही।

विधानसभा में भोजनावकाश के बाद विधेयक पर चर्चा प्रारंभ करते हुए विधायी एवं संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुस्लिम देश समेत विश्व के कई देश में समान नागरिक संहिता लागू है। संविधान सभा ने भी देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता व्यक्त की थी। तुष्टीकरण के कारण लंबे समय तक देश की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस ने इसे लागू नहीं होने दिया। धारा 370, राम मंदिर का निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाली कांग्रेस की गलतियों को भाजपा सुधार रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आज का दिन मातृशक्ति के लिए ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है। धर्म और लिंग भेदभाव से हटकर महिलाओं को समान नागरिक संहिता के माध्यम से मानवाधिकार प्राप्त होंगे। हिंदू धर्म में कुप्रथाओं को समाप्त किया गया, लेकिन समान नागरिक संहिता से मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी न्याय प्राप्त होगा। भाजपा ने फिर साबित किया कि पार्टी जो कहती है, उसे पूरा करती है। पंथ निरपेक्ष देश धार्मिक नियमों या व्यवस्था से नहीं चलेगा। यह संविधान व कानून से ही चलेगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि समाज में एकरूपता और समरसता को समान नागरिक संहिता से बल मिलेगा। इसमें किसी भी धर्म की परंपराओं पर अंकुश नहीं लगाया गया है। इससे न्यायालयों में वादों की संख्या भी घटेगी। कैबिनेट मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि गोवा में 157 वर्ष पहले वर्ष 1867 में समान नागरिक संहिता लागू की गई थी। गोवा के भारत में विलय के साथ ही इसे भी स्वीकार किया गया। गोवा में कैथोलिक व इसाई धर्म को बाहर रखा गया, लेकिन उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में सभी के लिए समान व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कांग्रेस के विशेषज्ञ समिति की ओर से नहीं बुलाने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वेबपोर्टल समेत हर स्तर पर सुझाव आमंत्रित किए गए, लेकिन कांग्रेस सोई रही।

News paper – Dainik Jagran
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

समझिए..यूसीसी किस-किस पर होगा लागू और क्या पड़ेगा असर

देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में उन तमाम बातों को बिंदुवार स्पष्ट किया है जो आपके मन में सवाल के रूप में उभर सकते हैं। विस्तार से समझिए इसके मुख्य बिंदुओं को...

समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया?

■ **जवाब :** भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25, सहपठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत तथा अनुसूचि छह के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। ड्राफ्ट समिति ने माना कि प्रदेश में निवास कर रही जनजातियों में महिलाओं की स्थिति प्रदेश में अन्य वर्गों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर है।

समान नागरिक संहिता किन पर लागू होगी?

■ **जवाब :** राज्य के मूल निवासी व स्थायी निवासियों पर। राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम के स्थायी कर्मचारी, केंद्र या उसके किसी उपक्रम के राज्य में तैनात स्थायी कर्मचारी, राज्य में कम से कम एक वर्ष से निवास कर रहे व्यक्ति, राज्य या केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी, जिसने राज्य निवासी होने का लाभ लिया हो।

विवाह की आयु में कोई परिवर्तन क्यों नहीं किया गया?

■ **जवाब :** मुस्लिम वर्ग के अतिरिक्त सभी वर्गों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। मुस्लिम वर्ग के लिए न्यूनतम आयु उसका मासिक धर्म प्रारंभ होने से मानी जाती है। अब सबके लिए यह आयु समान होगी।

यूसीसी में आनंद मैरिज एक्ट के लिए क्या कहा गया है?

■ **जवाब :** किसी भी वर्ग में विवाह के अनुष्ठानों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। सप्तपदि, आशीर्वाद, निकाह, पवित्र बंधन, आनंद कारज, आर्य समाज विवाह, विशेष विवाह अधिनियम को इसमें संरक्षित किया गया।

अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम प्रदेश में पहले से लागू है तो अब इसे समान नागरिक संहिता में लाने की जरूरत क्यों?

■ **जवाब :** वह अधिनियम यूसीसी आने के बाद समाप्त हो जाएगा।

अगर कोई विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो क्या वह निरस्त होगा?

■ **जवाब :** ऐसा विवाह निरस्त नहीं माना जाएगा बल्कि उस पर यूसीसी के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।

तलाक के लिए यूसीसी में क्या तरीके होंगे?

■ **जवाब :** बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाए कोई भी विवाह विच्छेद नहीं होगा। ऐसा करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

समान नागरिक संहिता में पुत्र, पुत्री के बीच संपत्ति का बंटवारा क्या समान होगा?

■ **जवाब :** हां

यूसीसी में मृतक की संपत्तियों का विभाजन कैसे होगा?

■ **जवाब:** संपत्ति शब्द को हटाकर संपदा शब्द का प्रयोग यूसीसी में किया गया है। इसमें मृतक की सभी प्रकार की संपत्तियां जैसे चल, अचल, स्वयं अर्जित, पैतृक या जन्गम या संयुक्त, मूर्त या अमूर्त या ऐसी किसी भी संपत्ति में कोई भी हिस्सा, हित या अधिकारी को सम्मिलित किया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद पैतृक संपति अब व्यक्ति की स्वयं अर्जित संपत्ति ही मानी जाएगी। और उसका विभाजन उसके उत्तराधिकारियों के बीच स्वयं अर्जित संपत्ति के अनुसार ही किया जाएगा।

कोई व्यक्ति अपनी कितनी संपदा की वसीयत कर सकता है?

■ **जवाब:** कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपदा की वसीयत कर सकता है। यूसीसी लागू होने से पहले मुस्लिम, ईसाई एवं पारसी समुदायों के लिए वसीयत के पृथक नियम थे, जो अब सबके लिए समान होंगे।

News paper – Amar Ujala
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

UCC bill tabled in Uttarakhand House, likely to be passed today

Focus On Live-In Relations, Marriage, Divorce, Inheritance

Kautilya.Singh
@timesgroup.com

Dehradun: The much-talked about Uniform Civil Code (UCC) of Uttarakhand was tabled by chief minister Pushkar Singh Dhami in the state assembly on Tuesday morning. The bill, which has seven schedules and 392 sections, is expected to be passed by the House on Wednesday. The bill focuses on four key areas – marriage, divorce, in-

FULL COVERAGE: P 2 & 3
▸Good/bad start, P 18

heritance and live-in relationships – and intends to end practices of polygamy, polyandry, halala, iddat and talaq.

Among its highlights are stringent provisions regarding live-in relationships.

▸Continued on P 2

UNREGISTERED LIVE-IN COUPLES FACE 3 MONTHS IN JAIL

MARRIAGE & DIVORCE

- **Minimum age:** Women (18 years), men (21 years) irrespective of faith. Up to 6 months in jail and/or ₹25,000 fine for breach
- Mandatory registration within 60 days or ₹10,000 fine for marriages solemnised after UCC implementation
- Registration required within six months for marriages solemnised between March 26, 2010 and date of commencement of the UCC. Applicable if at least one spouse was resident of Uttarakhand at time of ceremony
- Dissolution of marriage in contravention of UCC norms punishable with up to 3 years in jail
- Polygamy, bigamy prohibited. Halala, iddat, triple talaq banned
- Up to 3 years in jail and/or ₹50,000 fine for violating norms
- Appointment of registrar general, registrar and sub-registrars for marriage and divorce-related appeals

LIVE-IN COUPLES

- Mandatory to register within a month of relationship or face up to 3 months in jail and/or ₹10,000 fine
- People from other states residing in Uttarakhand also have to register with authorities
- Registrar to forward details of all couples to police. Parents will be informed if either of the two partners are below 21 years of age
- Details to be verified by registrar who can conduct inquiry to establish validity of relationship
- Providing false info while registering attracts 6 months in jail and/or ₹25,000 fine
- Cannot rent or buy property without registration
- Child born of relationship will be considered legitimate
- Must submit statement to officials on termination of relationship to the registrar
- Woman deserted by partner entitled to maintenance

OTHERS

- Scheduled Tribes, with rights protected under Section 21 of Constitution, out of UCC ambit
- Equal property, inheritance rights for sons and daughters, spouse and parents in case of death of male bread-winner of family. Jail term from 3 to 6 months for violations

News paper – Times of India
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

U'khand becomes first state to bring UCC bill

HT Correspondents
letters@hindustantimes.com

DEHRADUN: Uttarakhand chief minister Pushkar Singh Dhami on Tuesday tabled the Uniform Civil Code (UCC) Bill, which provides for self-declaration of live-in relationships, mandatory registration of marriage and divorce besides making 18 marriageable age for women and 21 for men. The bill exempts Scheduled Tribes (ST), who account for the state's 2.89% population, from its ambit.

Prime Minister Narendra Modi made a case for the UCC in June last year. Several tribal communities in both central India and the northeast protested the move.

"Our government, taking all sections of society along with full responsibility, has presented the Uniform Civil Code Bill...," said Dhami after tabling the proposed legislation amid chants of "*Jai Shri Ram*" (Hail Lord Ram).

Dhami said Uttarakhand was about to witness a historic moment. He added the state would become a strong pillar of Prime Minister Narendra Modi's vision of "Ek Bharat, Shrestha Bharat (One India, Great India)".

Security personnel deployed near the Uttarakhand Legislative Assembly amid debate on the UCC bill, in Dehradun, on Tuesday. PTI

The House was adjourned until 2pm after the tabling of the bill for the legislators to read it before a discussion. Congress leader Yashpal Arya sought more time to examine the bill. "This is a 172-page bill and two hours are not enough to examine it. We need more time so that we can give our suggestions or raise issues that need to be looked into," he said.

Parliamentary affairs minister Premchand Aggarwal gave a historical backdrop of the UCC after the House resumed and questioned why was not it brought up until now. He called the introduction of the bill a historic step. "Contrary to the Congress's claims that they did not get time to examine the bill, many of its leaders have started commenting on it. I heard a Muslim woman talking about the UCC on a TV channel. She was lauding the UCC and questioning those who were opposing it."

The bill, which has 392 sections divided into four parts and seven chapters, seeks to provide equal rights for women in inheritance in ancestral properties, adoption, and divorce. It provides for a ban on polygamy.

The bill was tabled on the second day of a special four-day assembly session convened to pass the legislation. Uttarakhand will become the first state to adopt the UCC if the bill is passed. Other BJP-ruled states such as Gujarat and Assam have promised to implement the UCC.

The UCC has been one of the three ideological promises of the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) apart from the construction of the Ayodhya Ram Temple and ending Jammu and Kashmir's semi-autonomous

continued on →7

News paper – Hindustan Times
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

उत्तराखंड विस में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल पेश

हलाला व बहुविवाह अब अपराध

देहरादून (एसएनबी)। बहुचर्चित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विधेयक मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्तुत हो गया। यूसीसी विधेयक के प्रस्तुत होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट मंत्रियों व भाजपा सदस्यों की ओर से बधाइयां मिली। बिल आज ही पारित भी होना था, लेकिन चर्चा के बाद स्पीकर ने इस पर कल भी चर्चा कराने का निर्णय लिया और अब यह ऐतिहासिक बिल बुधवार को पारित होगा।

इस दौरान भाजपा सदस्यों की ओर से जयश्री राम और भारत माता के नारे लगाये गये। बिल प्रस्तुत होने के बाद कुछ देर तक विधानसभा का सभामंडप जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्यमंत्री ने प्रवर समिति के द्वारा संशोधन के बाद वापस किये गये राज्य आंदोलनकारी आरक्षण बिल सदन के पटल पर रखा। इस बीच विपक्ष की ओर से शोरगुल होता रहा। इसके बाद स्पीकर ने व्यवस्था के सवाल पर विपक्ष के नेताओं की आपत्ति को सुना। व्यवस्था के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने

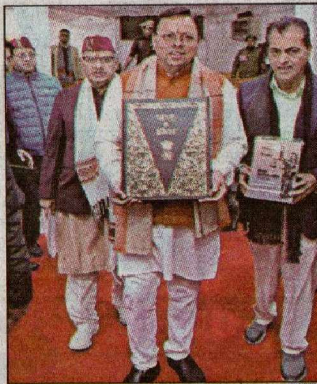

सत्तापक्ष पर बहुमत का नाजायज लाभ उठाने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। 11:25 बजे पीठ ने सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। *(संबंधित खबरें पेज 10)*

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से हमने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता से राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लाने का जो संकल्प प्रकट किया था, उसे आज हम पूरा करने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। देवभूमि के लिए वह ऐतिहासिक क्षण निकट है जब उत्तराखण्ड आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न एक भारत, श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार स्तम्भ बनेगा।

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

विधेयक के प्रमुख बिंदु

- शादी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी।
- सभी धर्मो में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी जबकि लड़के की उम्र 21 वर्ष रखी गई है।
- विवाह के समय दोनों ओर से, न तो वर की ओर से जीवित पत्नी हो और न वधु की ओर से जीवित पति हो।
- बहुविवाह गैरकानूनी, एक पति/पत्नी का नियम सभी धर्मो पर लागू होगा
- पति-पत्नी को तलाक लेने का समान हक।
- तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून।
- संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान अधिकार रहेगा और ये सभी धर्मो में लागू होगा।
- फारसी समुदाय में पहले तलाक के बाद 2 साल का समय दिया जाता था, लेकिन अब उस अवधि को 6 माह कर दिया गया है।
- प्रदेश की जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा गया।
- यूसीसी में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को तलाक के बाद उनको भरण-पोषण देने का प्रावधान भी किया गया है।

हलाला : कैद के साथ जुर्माना भी

हलाला कराने वाले लोगों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान यूसीसी में किया गया है। बिल में हलाला शब्द का प्रयोग किए बिना कहा गया है कि इसके लिए विवश, दुष्प्रेरित या अभिप्रेरित करने वाले को तीन वर्ष की अवधि के कारावास और एक लाख रुपए तक जुर्माना और जुर्माना ना देने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास का दंड दिया जाएगा। यूसीसी के बिल में कहा गया है,

लिव-इन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

राज्य में जो भी कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे वो उत्तराखंड के निवासी हों या नहीं, उनको अपने अधिकार क्षेत्र के रजिस्ट्रार को सेक्शन 381 के क्लाज (1) के तहत लिव-इन रिलेशनशिप का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य के क्षेत्र के बाहर अगर उत्तराखंड का कोई भी निवासी लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे भी 381 की उपधारा

गोद लेने का नियम बदलेगा

कानून लागू होने के बाद राज्य में मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया सरल होगी। दंपती के बीच झगड़े पर बच्चों की कस्टडी उनके दादा-दादी को दी जा सकती है।

बुजुर्ग मां-बाप के भरण-पोषण की पत्नी पर होगी जिम्मेदारी : कानून लागू होने के बाद

मातृशक्ति को न्याय ही नहीं

नई ताकत भी देगा यूसीसी

■ अर्जुन बिष्ट

देहरादून।

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भारतीय संविधान की आत्मा है। यह बात स्वयं संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। अब जबकि देश के किसी राज्य में पहली बार यूसीसी लागू हो रहा है तो इसके प्रावधानों को देखकर कहा जा सकता है कि वाकई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सही कहा था और इसे बहुत पहले ही लागू हो जाना चाहिए था।

इस विधेयक के प्रारूप में जो बिंदु सामने आये हैं, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि इसके लागू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा देश की आधी आबादी यानि महिलाओं को होगा। इसके 10 महत्वपूर्ण विंदुओं में महिलाओं को बाल विवाह, बहु विवाह व पति द्वारा परित्याग करने जैसी कष्टकारक कुरीतियों से निजात तो मिलेगी ही साथ ही उन्हें पिता की संपत्ति में भी बराबरी का हक भी मिल जाएगा। विधेयक में खास बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप के रिश्तों को भी कानूनी संरक्षण मिल जाएगा, इसके लिए बाकायदा पंजीकरण कराना होगा। इस तरह के रिश्तों से जन्मने वाले बच्चे भी अब अनाथ नहीं रहेंगे और उन्हें बाकायदा माता और पिता का नाम मिल जाएगा। पुत्र के साथ ही पुत्रियों को संपत्ति में बराबरी का हक मिलने के साथ ही बुजुर्गों की देखभाल की गारंटी का प्रावधान भी इस विधेयक में रखा गया है।

प्रस्तावित यूसीसी बिल में तलाक का नियम सबके लिए समान कर दिया गया है। अब न्यायालय से ही वैवाहिक संबंधों का विच्छेद किया जा सकेगा। विवाह की

समान नागरिक संहिता

- वैवाहिक परंपराओं में न किया गया कोई बदलाव
- मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे में पूजा पद्धति ने छेड़छाड़ नहीं
- यूसीसी लागू करने वाल आजाद भारत का पहला रा बनेगा

का सरकार के पास रिकार्ड होगा। यू इस बिल में सभी विंदुओं को विस्तार गया है। एक सबसे खास बात यह है में वैवाहिक परंपराओं से छेड़छाड़ गयी है। *(शेष पे*

आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन : स्पी

देहरादून। समान नागरिकता संहि विधानसभा में पेश होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। स्वतंत्रता के बाद यह देश का य राज्य बनने जा रहा है जो प्रदेश नागरिकों के लिए समान अधिकार रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कि में की पक्षधर रही हूं। इसमें महि अधिकारों पूर्ण दर्ज दिया जाएगा किसी भी वर्ग की हों। इसमें वि

News paper – Rastriya Sahara
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

the pioneer

www.dailypioneer.com

Uttarakhand scripts hist

INTRODUCES UNIFORM CIVIL CODE IN THE ASSEMBLY

PIONEER NEWS SERVICE
NEW DELHI

The Uttarakhand Government introduced the Uniform Civil Code Bill in the Assembly today.

This is the first such move by any State Government since Independence that could set the roadmap as similar legislations in other States.

Highly placed sources in the BJP in Delhi said, "We are glad that Dev Bhumi has taken this initiative."

Emphasising the BJP's deliverables across the board, from Article 370 to Ayodhya, in the past decade, sources said the party and the Government have made huge inroads into the minds of the average Indian.

Beyond gender, caste, creed, and religion from economy to social justice, the BJP is touching different lives across sectors from gas to taps, marital rights to inheritance, all sections of BPL families feel empowered, they asserted.

"We actually believe in and implement our promise of the last mile delivery," said a senior BJP leader, adding that, "We will have a good debate on UCC."

The Bill has exempted the tribal communities from the proposed law. The Bill also mandates registration of live-in relationships and children born thereof. The Bill categorically states that live-in relationships must be registered.

It stipulates a penalty of a month in prison or a fine of Rs 10,000 or both if they do not submit a statement on the relationship to the local Registrar.

They stand to face higher penalty in case they submit false information. The Bill also makes it clear that a marriage can only be solemnised if "neither party has spouse living at the time of marriage".

If not registered the deserted woman will be entitled to maintenance from her partners.

Only Goa has a common civil law, in operation since Portuguese rule.

The Bill effectively bans polygamy. On Tuesday, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami marched into the House with the copy of the original Constitution.

The Bill applies to all of Uttarakhand and to all its people living outside the State. The State's tribal population will not be affected.

The BJP had promised UCC for Uttarakhand ahead of the 2022 Assembly Polls. They finally seem to have delivered.

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, with others, holds a copy of the Constitution of India, at Vidhan Sabha Bhawan, in Dehradun, on Tuesday PTI

News paper – The Poineer
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY
NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश, चर्चा जारी

नेता विपक्ष यशपाल आर्य की बिल को प्रवर समिति को सौंपने की मांग

शाह टाइम्स ब्यूरो

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने विपक्ष के भारी विरोध और सत्ता पक्ष की ओर से लगाए जा रहे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारों के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रख दिया है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही, जहां नेता सदन पुष्कर सिंह धामी संविधान की मूल प्रति हाथ में लेकर सदन में पहुंचे और सत्ता पक्ष की ओर से 'जय श्री राम' 'वंदे मातरम' के नारे लगने लगे, वहीं विपक्ष के सभी विधायक खड़े रहे और सदन की परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन में परंपराओं का खुला उल्लंघन हो रहा है, बिना प्रश्नकाल व शून्यकाल के सदन को चलाया जा रहा है, विधायक अपनी बात सदन में नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। विपक्ष की ओर से कहा गया कि समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के लिए समय दिया जाए। प्रीतम सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा सचिव की ओर से 25 जनवरी को पत्र भेजा गया था, उसमें इस बात को कहा गया था कि छह फरवरी की सुबह तक सभी सदस्य कार्यस्थगन प्रस्ताव देंगे, मगर अब सरकार ने इसे विशेष सत्र बताते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है, जो विधानसभा संचालन नियमावली के खिलाफ है। उसके बाद 11 बजकर 20 मिनट पर नेता सदन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'भारत माता की जय', 'जय श्री राम' और 'बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे' के नारों के साथ समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भारत के संविधान की प्रति हाथों में पकड़कर विधानसभा पहुंचे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व प्रेमचंद अग्रवाल भी सीएम के साथ मौजूद थे। उनके हाथों में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट की प्रति थी। देश भर के सियासी दलों और सामाजिक संगठनों सहित सभी धर्माचार्यों की नजर उत्तराखंड पर है। रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

- उत्तराखंड की धामी सरकार ने रचा इतिहास
- भारत का संविधान एवं यूसीसी बिल लेकर सदन में पहुंचे मुख्यमंत्री
- प्रश्नकाल न होने पर विपक्ष का परंपराओं के उल्लंघन का आरोप

सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई

यूसीसी में सभी धर्म के विवाह के लिए न्यूनतम आयु भी 18 वर्ष तय की गई है, ऐसा होने से बेटियों के कम उम्र में शादी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ड्राफ्ट में शादी के पंजीकरण को भी आवश्यक किया गया है। शादी को लेकर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूती दी जा सकेगी, ऐसा न करने वालों को तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। भाजपा ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बताया है। सदन में बिल पेश होने के बाद स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने सदन की कार्यवाही को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद समान नागरिक संहिता बिल पर सदन में चर्चा शुरू हुई, जो देर शाम तक जारी रही। विधेयक पर (आज) बुधवार को सदन में निर्णय होगा।

News paper – Shah Times
Date – 7.02.2024

DOON UNIVERSITY

NEWSPAPER CLIPPING SERVICES

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया

यूसीसी का रास्ता साफ

उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने के साथ ही 'एक देश, एक विधान' को लेकर आजादी के समय से चल रही बहस ने मंगलवार को ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। इसी के साथ ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया।

देहरादून, मुख्य संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड विधानसभा में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक (यूसीसी) मंगलवार को पेश कर दिया। इसी के साथ उत्तराखंड यूसीसी विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विधेयक में बहुविवाह पर रोक, तलाक के लिए पत्नी को भी पति जैसे अधिकार, विवाह के लिए सभी धर्मों में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल उम्र, शादी के छह माह में पंजीकरण अनिवार्य, संपत्ति में लड़के और लड़की को बराबर अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना आवश्यक करने के अलावा सभी धर्मों के लिए वसीयत के एक जैसे प्रावधान शामिल हैं।

मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री पुष्कर धामी संविधान और यूसीसी की प्रति के साथ सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री के सदन में आते ही उत्साहित भाजपा विधायकों ने जय श्री राम, वंदे मातरम और बाबा साहब भीमराव आंबेडकर अमर रहें, आदि नारे लगाए। मुख्यमंत्री धामी ने विधेयक प्रस्तुत किया। इसी के साथ सबके लिए समान कानून का रास्ता साफ हो गया। बुधवार को इसके विधानसभा में पारित हो जाने की संभावना है। धामी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से यूसीसी लाने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में उन्होंने यूसीसी का प्रस्ताव पारित करवाया था।

यूसीसी के अध्ययन के लिए स्थगित हुआ सदन: मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ओर से सदन में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्ष ने इस विधेयक को पढ़ने और उस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय देने की मांग उठाई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की इस मांग को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 11:20 बजे सदन को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी को जाएगा बिल: विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि यूसीसी बिल उत्तराखंड विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में पारित होने के बाद पहले इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद राज्यपाल इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही यह बिल उत्तराखंड में लागू हो जाएगा।

"हमारी सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पेश कर दिया है। देवभूमि के लिए वह ऐतिहासिक क्षण निकट है जब उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक भारत, श्रेष्ठ भारत का मजबूत आधार स्तम्भ बनेगा।"

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

विधेयक की विशेषताएं

शादी की उम्र
सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 और लड़कों के लिए 21 निर्धारित की गई है। अभी कुछ धर्मों में इससे कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है।

विवाह पंजीकरण
शादी के छह माह के भीतर अनिवार्य तौर पर सब रजिस्ट्रार के पास विवाह पंजीकरण कराना होगा, पंजीकरण नहीं कराने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

तलाक
समान नागरिक संहिता में पति-पत्नी के लिए तलाक के कारण और आधार एक समान कर दिए गए हैं। अभी पति जिस आधार पर तलाक ले सकता है, उसी आधार पर अब पत्नी भी तलाक की मांग कर सकेगी।

बहुविवाह
पति या पत्नी के रहते दूसरी शादी यानि बहु विवाह पर सख्ती से रोक रहेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाह करने की छूट है लेकिन अन्य धर्मों में एक पति-एक पत्नी का नियम बहुत कड़ाई से लागू है।

वसीयत
कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से पूर्व मुस्लिम, ईसाई एवं पारसी समुदायों के लिए वसीयत के अलग-अलग नियम थे, जो अब सभी के लिए समान होंगे।

उत्तराधिकार
उत्तराधिकार में लड़कियों और लड़कों को बराबर अधिकार प्रदान किया गया है। संहिता में सम्पत्ति को सम्पदा के रूप में परिभाषित करते हुए इसमें सभी तरह की चल-अचल, पैतृक सम्पत्ति को शामिल किया गया है।

लिव इन रिलेशनशिप
लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, विवाहित पुरुष या महिला लिव इन में नहीं रह पाएंगे। इसके लिए जोड़ों को लिव इन में रहने की स्वघोषणा करनी पड़ेगी। लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को सम्पूर्ण अधिकार दिए गए हैं।

अधिकार क्षेत्र
राज्य का स्थायी निवासी, राज्य या केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारी, राज्य में संचालित सरकारी योजना के लाभार्थी पर लागू होगा। राज्य में न्यूनतम एक साल तक रहने वाले लोगों पर भी यह कानून लागू होगा।

अन्य खास बातें

27 मई, 2022 को किया गया था कमेटी का गठन

43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए

72 बैठकें आयोजित की गईं समिति की

29 लाख व्हाट्सऐप मैसेज किए गए लोगों को

- 740 पेज की है चार खंड वाली रिपोर्ट
- 2.32 लाख सुझाव प्राप्त हुए समिति को
- 02 फरवरी को कमेटी ने सौंपी थी रिपोर्ट
- 06 फरवरी को सीएम धामी ने सदन में पेश की रिपोर्ट

देहरादून में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संविधान की प्रति लेकर

अभी अलग-अलग वर्गों के अपने कानून

देश में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में अलग-अलग कानून हैं। इनमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 आदि शामिल हैं। अब सबके लिए एक कानून लागू होगा।

क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान कानून। यानी सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के लिए एक ही नियम होंगे। इसके लागू होने के बाद शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और उत्तराधिकार से जुड़े मामले में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे।

News paper – Hindustan
Date – 7.02.2024